प्रारूप-झ (संलग्नक-9)
अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण

यूआईडी संख्या: **UPFS/2024/105035/ALG/ALIGARH/2129/CFO**
दिनांक: **08-01-2024**

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **ANKUR PUBLIC SCHOOL** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **KHATA NO-55 KHET NO-14 VILL CHIRCULA, BHATARI,G.T ROAD,ALIGARH** तहसील - **KOIL** जिसमें

ब्लॉक/टावर	तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
ANKUR PUBLIC SCHOOL	2	0	8.00 mt.

तथा प्लाट एरिया **3745.00 sq.mt** है। भवन का अधिभोग **ANKUR PUBLIC SCHOOL** (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थायें एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण **अग्निशमन अधिकारी** द्वारा दिनाँक **11-01-2024** को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **ANKUR EDUCATIONAL SOCIETY** के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि एवा जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण (Renewal ofFire & Life Safety Certificate)(एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **11-01-2024** से **10-01-2027** तक **3** वर्षों के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन मे स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी ।

Note : निरीक्षण अधिकारी की संस्तुति के अनु सार यह प्रमाण पत्र मानचित्र मे इंगित भवन के लिए निर्गत किया जा रहा है प्रत्येक माह फायर mock drill , स्टाफ की फायर ट्रेनिंग एवं फायर उपकरणों का रखरखाव तथा documentation करना आवश्यक होगा I विद्युत सुरक्षा के सम्बन्ध में विद्युत सुरक्षा विभाग से प्रमाण पत्र लेना आवश्यक होगा| भवन का अधिभोग अथवा ढाचागत परिवर्तन करने से पहले अनुमति लेना आवश्यक होगा I सेटबेक की अनिवार्यता एवं तदनुसार उपलब्धता के सम्बन्ध में निर्णय सम्बंधित सत्ता प्राधिकारी द्वारा लिया जायेगा | उक्त शर्तो को पूर्ण करने की जिम्मेदारी भवन स्वामी / प्रबंधक की होगी अन्यथा अनापत्ति प्रमाण पत्र को स्वतः निरस्त समझा जाये I

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों , सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है । इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा । यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है ।"

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)
ARVIND KUMAR SINGH
C6883436347576618DD9636E9B68589D126E7BC0
11-01-2024

निर्गत किये जाने का दिनांक : **11-01-2024**
स्थान : **ALIGARH**

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.